



**बिहार सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014  
संख्या-व.सं./26/2019-

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गया अंचल, गया।

पटना-14, दिनांक-...../...../2021

**विषय :** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज सं० BR-12R-567, T04 अमरा-बगाही कला हरिजन टोला पथांश के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.536 हे० वन भूमि का "कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 13.02.2014 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 52 (ई०) दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज सं० BR-12R-567, T04 अमरा-बगाही कला हरिजन टोला पथांश के निर्माण हेतु 0.536 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है-

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है, तथापि हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रु० 7,36,560/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।
- (iii) अपयोजित होने वाली 0.536 हे० वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु० प्रति हे० की दर पर कुल रु० 3,35,536/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।
- (iv) क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि रु० 10,72,096/- (रुपये दस लाख बहत्तर हजार छियानवे) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा।



- (v) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (viii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (ix) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (x) वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन/वन्यप्राणी क्षेत्र से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Speed Breaker का निर्माण किया जायेगा एवं पथ के किनारे साईन बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा जिसपर नियंत्रित गति से वाहन के परिचालन को अंकित किया जायेगा।
- (xi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि आवश्यकतानुसार पुल-पुलिया का निर्माण किया जायेगा तो प्राकृतिक नदी/नालों/जल-प्रवाहों को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा, जिससे वन्यप्राणियों का आवागमन अवरुद्ध नहीं हो सके।
- (xii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (xiii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (xiv) परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-II स्वीकृति के पूर्व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रयोक्ता एजेंसी को Working Permission निर्गत किया जायेगा।
- (xv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xvii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xviii) उपभोक्ता अभिकरण (कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी) अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/ अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।



उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—व.सं./ 26 / 2019—..... दिनांक .....

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल गया/ कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—व.सं./ 26 / 2019—..... दिनांक .....

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियन्ता—सह—नोडल पदाधिकारी PMGSY ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—व.सं./ 26 / 2019—..... दिनांक .....

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/ मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—व.सं./ 26 / 2019—..... दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।